फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

भूरा पिता गोला मुसलमान नि. रोपां

बनाम

शहजाद पिता सुलतान मुसलमान नि. रोपां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1024/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1854 रकवा 04.17 बीघा कुल किता 1 रकवा 04.17 बीघा स्थित है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनके विधिक वारिसान प्रार्थी है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त पडोसीगण को सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमावन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने वावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1854 रकवा 04.17 बीघा कुल किता 1 रकवा 04.17 बीघा की वसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोंपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 18.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner